न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 106/2026

अनवान : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 एलआरएक्ट जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 एलआरएक्ट
उपस्थिति –पैरोकाराज

आदेश दिनांक 14/5/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र इस प्रकार है न्यायालय हाजा द्वारा मि.नं. 419/2025 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2025 द्वारा चक 7 सीडीआर के प.नं. 223/243 के मु.नं. 3 के किला नं. 16/0.249 है0 गै.मु.आबादी व किला नं. 18/0.253 है0 गै.मु. जोहड़ दर्ज करने के आदेश दिये गये है। न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में व तहसीलदार टिब्बी आदेश क्रमांक रीडर/25/2613 दिनांक 13.10.2025 की पालना में नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया गया। प्रकरण में वर्णित भूमि खाता संख्या 01 में होने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में गठित जीएलएमएसी कमेटी में उक्त नामान्तरकरण प्रेषित हुआ। प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर(भू अ•) महोदय हनुमानगढ़ के बैठक दिनांक 08.05.2026 में दिये गये आदेश एफ9(14)(15)डीआईएलआरएमपी/GLMAC/भू अ•/3011 दिनांक 12.05.2026 द्वारा निर्णय लिया गया है कि **"माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय टिब्बी के मि.नं. 419/2025 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2025 में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो चक 7 सीडीआर के प.नं. 223/243 के मु.नं. 3 के किला नं. 16/0.249 है0 गै.मु. आबादी व किला नं. 18/0.253 है0 गै.मु. जोहड़ का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रदत निर्देशानुसार एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं उपनिवेशन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावे।"** उक्त आदेशों के अनुकम में जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश कमांक 2147 दिनांक 12.05.2026 द्वारा आदेशित किया गया है कि अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन सुनिश्चित करें। उक्त आदेश की पालना में प्रकरण में चक 7 सीडीआर के प.नं. 223/243 के मु.नं. 3 के किला नं. 16/0.249 है0 गै.मु.आबादी व किला नं. 18/0.253 है0 गै.मु.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

जोहड़ दर्ज होना है। वर्तमान में ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा संख्या 58 में किला नं. 16,17,18 एवं 24 कुल 0.506 है0 प्रदर्शित हो रहा है। जो कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड(वर्तमान जमाबंदी व नक्शा मिसल बन्दोबस्त) के अनुसार नहीं है। भू–नक्शा में खसरा संख्या 58 का योग 0.506 है0 सही दर्शा रहा है किन्तु यह खसरा 16,17,18 एवं 24 कुल किता 4 में दर्शा रहा है। जबकि मुताबिक नक्शा मिसल बन्दोबस्त खसरा संख्या 58 की तरमीम भू नक्शा पर किला नं. 17 व 18 में ही प्रदर्शित होनी थी। वरवक्त सेग्रीगेशन कार्य के उक्त तरमीम गलती से किला नं. 17 व 18 के स्थान पर किला नं. 16,17,18 एवं 24 की हो गयी। अब माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में खसरा संख्या 58 में प.नं. 223/243 मु.नं. 3 किला नं. 17 व 18 कुल किता 2 रकबा 0.506 है0 दर्ज होना है और इसी अनुसार ही भू–नक्शा पर तरमीम दुरूस्त की जानी है। जबकि किला नं. 16 एवम् 24 को पूर्व में गै.मु. आबादी में होने के कारण भू–नक्शा में खसरा संख्या 56 में तरमीम दुरूस्त कर शामिल किया जाना है। उक्तानुसार अगर भू–नक्शा पर तरमीम को दुरूस्त नहीं किया जाता है तो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय टिब्बी के मि.नं. 419/2025 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2025 तथा श्रीमान जिला कलक्टर(भू अ.) महोदय हनुमानगढ़ के बैठक दिनांक 08.05.2026 में दिये गये आदेश एफ9(14)(15)डीआईएलआरएमपी/GLMAC/भू0अ/3011 दिनांक 12.05.2026 की पालना में चक 7 सीडीआर के प.नं. 223/243 के मु.नं. 3 के किला नं. 16/0.249 है0 गै.मु.आबादी व किला नं. 18/0.253 है0 गै.मु. जोहड़ दर्ज किया जाना संभव नहीं होगा। अतः उक्तानुसार वरवक्त सेग्रीगेशन कार्य के दौरान हुयी गलत तरमीम को दुरूस्त करने की अनुमति देने स्वीकृत की जावें ताकि माननीय न्यायालय व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ के आदेश की पालना में 7 सीडीआर के प.नं. 223/243 के मु.नं. 3 के किला नं. 16/0.249 है0 गै.मु.आबादी व किला नं. 18/0.253 है0 गै.मु. जोहड राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। तहसीलदार टिब्बी ने अपने पत्रांक रीडर/2026/2167 दिनांक 13.05.2026 द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक तहसीलदार टिब्बी न्यायालय हाजा के मि.नं. 419/2025 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2025 द्वारा चक 7 सीडीआर के प.नं. 223/243 के मु.नं. 3 के किला नं. 16/0.249 है0 गै.मु.आबादी व किला नं. 18/0.253 है0 गै.मु. जोहड़ दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जिस क्रम में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय टिब्बी के मि.नं. 419/2025 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2025 तथा श्रीमान जिला कलक्टर(भू अ•) महोदय हनुमानगढ़ के बैठक

उपखण्ड अधिकारी एवं
परगना मजिस्ट्रेट कलेक्टर
टिब्बी

दिनांक 08.05.2026 में दिये गये आदेश एफ9(14)(15)डीआईएलआरएमपी/भू अ/3011 दिनांक 12.05.2026 की पालना में 7 सीडीआर के प.नं. 223/243 के मु.नं. 3 के किला नं. 16/0.249 है0 गै.मु.आबादी व किला नं. 18/0.253 है0 गै.मु. जोहड राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु भू.अ.निरीक्षक सूरेवाला व हल्का पटवारी कुलचन्द्र की रिपोर्ट अनुसार व मुताबिक राजस्व रिकार्ड(वर्तमान जमाबंदी व नक्शा मिसल बन्दोबस्त) के खसरा संख्या 58 में प.नं. 223/243(3) किला नं. 17 व 18 किता 02 रकबा 0.506 है0 तथा शेष किला नं. 16 व 24 खसरा संख्या 56 गै.मु.आबादी कुल 11.002 है0 की तरमीम दुरूस्त की जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार टिब्बी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.10.2025 को निर्णय पारित कर तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया गया था कि वे उक्त प्रकरण में गै. मु. आबादी एंव गै.मु. जोहड़ के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कुल रकबा को यथावत् रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो चक 7 सीडीआर के पत्थर न. 223/243 के मु.न. 3 के किला न. 16/0.249है. गै.मु. आबादी व किला न. 18/0.253है. गै.मु. जोहड़ का अंकन राजस्व रिकोर्ड में कर रिकोर्ड दुरूस्त करें परन्तु पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एंव ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा न. 58 के किला न. 16–17–18–24 कुल 0.506 है. प्रदर्शित हो रहा है जो मुताबिक राजस्व रिकोर्ड व मिसल बन्दोबस्त अनुसार नक्शें में अंकन सही नहीं होना जाहिर होता है। खसरा सं0 58 का कुल योग 0.506है. दर्शाया गया है जबकि खसरा सं0 58 में 16–17–18–24 कुल 4 किता पैमुद है जबकि मुताबिक नक्शा मिसल बन्दोबस्त खसरा संख्या 58 की तरमीम भू नक्शा पर किला नं. 17 व 18 में ही प्रदर्शित होनी थी एवं किला न. 16–24 गै.मु. आबादी की तरमीम खसरा सं0 56 में कुल रकबा 11. 002है. में प्रदर्शित होनी थी। अतः उपरोक्त विवेचानुसार व संलग्न भू–नक्शा अनुसार उक्त तरमीम शुद्वि राजस्व रिकोर्ड में किया जाना उचित प्रतित होती है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 एलआरएक्ट मुताबिक दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार टिब्बी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में गै.मु. आबादी एंव गै.मु. जोहड़ के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कुल रकबा को यथावत् रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो राजस्व रिकार्ड (वर्तमान जमाबंदी व नक्शा मिसल बन्दोबस्त) व प्रस्तावित तरमीम शुद्वि नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 58 में प.नं. 223/243(3) किला नं. 17 व 18 किता 02 रकबा 0.506 है0 गै0मु0 जोहड़ तथा शेष किला नं. 16 व 24 खसरा संख्या 56 गै.मु.

खण्ड अधिकारी एवं
उप सहायक कलेक्टर
टिब्बी

गै0मु0 जोहड़ तथा शेष किला नं. 16 व 24 खसरा संख्या 56 गै.मु.आबादी कुल 11.002 है0 की तरमीम दुरूस्त की जाकर राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त किया जावें।

आदेश आज दिनांक 14/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी (हनुमानगढ़)